न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35 /2023
दायरी दिनांक 10.10.2023

सामु आयु 38 वर्ष पुत्र स्व. मो. रमजान जाति मुसलमान निवासी ग्राम भारू हाल ग्राम नूंआ पंचायत समिति मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज०)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डा तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज०)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

निर्णय

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है :–प्रार्थी ग्राम भारू हाल ग्राम नूंआ पंचायत समिति मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं का निवासी है। प्रार्थी के खातेदारी, कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि ग्राम नूआं पटवार हल्का नुआं भू.अ.नि. नुआं तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में खेत खसरा नम्बर 97 रकबा 1.4000 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/20 हिस्सा है। प्रार्थी अपने खातेदारी हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है।प्रार्थी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ग्राम पंचायत नूआं पं.स. मण्डावा (झुंझुनूं) के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नामसामू दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में भूलवश प्रार्थी का नाम हासन गलत दर्ज हो गया, जिसको दुरूस्त करना न्यायोचित है। खसरा नम्बर 97 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भूलवश हासम गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सामू दर्ज है जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक अधिकार की भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करवाने हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय के पास गया तो उन्होने श्रीमान के न्यायालय में दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय का आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नूआं पटवार हल्का नुआं भू. अ.नि. नुआं तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में खेत खसरा नम्बर 97 रकबा 1.4000 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हासम की जगह सामू दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये । तहसीलदार मण्डावा द्वारा पत्रांक भू.अ. /2023 /1022 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम नूआं के खाता स. 11 खसरा स. 97 रकबा 1.40 हे. में हासम पुत्र रमजान हिस्सा 1/20 जाति फकीर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम नूआं की जमावन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता स. 11 में प्रार्थी का नाम हासम पुत्र रमाजान दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

ग्राम पंचायत नूआ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम सामू पुत्र मोहम्मद रमजान दर्ज है। संलग्न दस्तावेजो, जांच व पुछताछ के आधार पर दोनो नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में हासम पुत्र रमजान के बजाय सामू पुत्र मोहम्मद रमजान नियमानुसार किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम सामू पुत्र मोहम्मद रमजान है। अतः उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम नूआं पटवार हल्का नूआं के खाता संख्या 11 में दर्ज हासम पुत्र रमजान के स्थान पर सामू पुत्र मोहम्मद रमजान कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा